महात्मा गांधी

प्रवासी सुरक्षा योजना

ईसीआर देशों में उत्प्रवासन जांच अपेक्षित (ईसीआर) पासपोर्ट धारण करने वाले सभी प्रवासी भारतीय कर्मकारों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा स्कीम

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय
(एमओआईए)
भारत सरकार

एमजीपीएसवाई के बारे में

यह ईसीआर देशों में कार्य कर रहे प्रवासी भारतीय कर्मकारों के लिए एमओआईए द्वारा विशेष रूप से तैयार की गई सामाजिक सुरक्षा स्कीम है। यह एक स्वैच्छिक स्कीम है। जब आप विदेश (ईसीआर देशों में) कार्य कर रहे होंगे, तब यह स्कीम आपको नि:शुल्क जीवन बीमा सुरक्षा प्रदान करेगी तथा यह आपको अपने पुनर्वासन और आपकी वृद्धावस्था के लिए पेंशन की व्यवस्था करने नियमित रूप से बचत करने में भी सहायता प्रदान करेगी। एमओआईए भी आपकी पेंशन, पुनर्वासन के प्रति आपको प्रोत्साहित करने और आपकी सहायता करने के लिए इसमें सह-अंशदान करेगा तथा आपके लिए बिना किसी अतिरिक्त लागत पर बीमा की व्यवस्था करेगा।

एमजीपीएसवाई में आपके लाभ

जो प्रवासी भारतीय कर्मकार **एमजीपीएसवाई** में शामिल होते हैं, उन्हें 3 महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त होंगे:-

- एनपीएस-लाइट के माध्यम से वृद्धावस्था पेंशन सुरक्षा
- यूटीआई एएमसी द्वारा सेबी विनियमितत म्यूचुअल फंड (यूटीआई) के माध्यम से वापसी और पुनर्वासन के लिए बचत
- एलआईसी द्वारा जीवन बीमा सुरक्षा

एमजीपीएसवाई में आपकी पात्रता का मानदण्ड

18 से 50 वर्ष की आयु के बीच के भारतीय कर्मकार जिनके पास उनके पासपोर्ट में उत्प्रवासन जांच अपेक्षित (ईसीआर) मुहर लगी हो तथा वे या तो किसी ईसीआर देश में स्थायी नियोजन पर अथवा संविदा पर कार्य कर रहे हों अथवा कार्य करने जा रहे हों, **एमजीपीएसवाई** में नामांकन के लिए पात्र हैं।

मंत्रालय से सह-अंशदान सहायता

सब्सक्राइबर	न्यूनतम बचत प्रति सब्सक्राइबर प्रतिवर्ष	एसओआईए अंशदान प्रति सब्सक्राइबर प्रतिवर्ष	कुल बचत प्रति सब्सक्राइबर प्रतिवर्ष
महिला कर्मकार	5,000 रुपए	2,000+900 रुपए	7,900 रुपए
पुरुष कर्मकार	5,000 रुपए	1,000+900 रुपए	6,900 रुपए

***एमजीपीएसवाई** में मंत्रालय का सह-अंशदान सब्सक्राइबर द्वारा एनपीएस और आरएंडआर स्कीम, दोनों ही में आवश्यक योगदान करने के अध्यधीन है। सह-अंशदान अधिकतम 5 वर्ष की अवधि के लिए अथवा नियोजन की अवधि के लिए जो भी पहले हो, लागू होगा।*

एमजीपीएसवाई में आपका सेवा प्रदाता

एमजीपीएसवाई के अंतर्गत समस्त सब्सक्राइबर संबंधी सेवाएं आपको मंत्रालय द्वारा नियुक्त सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी, ऐसी एजेंसी जो प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट (पीआई) कार्यालय अथवा अपने स्वयं के कार्यालय से कार्य संचालित करेगी तथा आपको **एमजीपीएसवाई** में नामांकित करेगी। ऐसी एजेंसियों (सेवा प्रदाताओं) के विवरण आपको आपके निकटतम पीआई कार्यालय से प्राप्त हो सकते हैं अथवा आप इसके लिए **एमजीपीएसवाई** के टोल फ्री नम्बर 1800-113090 पर कॉल करें।

एमजीपीएसवाई में शामिल होने के लिए प्रक्रिया

नामांकन के लिए आपको सेवा प्रदाता द्वारा स्थापित किए गए नामांकन स्टेशन पर जाना होगा।

कृपया अपने साथ पासपोर्ट आकार के 3 फोटोग्राफ और अपने पासपोर्ट की फोटो प्रति तथा पते का प्रमाण लेकर जाएं।

यह सुनिश्चित करें कि आपके पास एक वैध बैंक खाता है, अपने साथ अपनी पासबुक/चेक बुक लेकर जाएं।

आपको सिस्टम द्वारा सृजित एकीकृत **एमजीपीएसवाई** आवेदन प्ररूप और आपकी **एमजीपीएसवाई** में अंशदान विवरणी पर हस्ताक्षर करने होंगे।

विदेशों में पहले से ही कार्य कर रहे सब्सक्राइबरों के संबंध में, उन्हें भारत में एनआरई/एनआरओ बैंक खाता खोलना होगा।

सेवा प्रदाता उस स्थिति में आपकी बैंक खाता खोलने में सहायता करेगा, यदि आपके पास बैंक खाता नहीं है।

पीएफआरडीए

वृद्धावस्था में आपकी पेंशन

एमजीपीएसवाई में आपकी पेंशन पीएफआरडीए विनियमित एनपीएस-पाइट के माध्मम से उपलब्ध कराई जाती है। यह राष्ट्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत एक विशेष स्कीम है जिसे भारतीय कर्मकारों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है।

यह स्कीम आपको आपकी वृद्धावस्था के लिए बचत करने में सहायता करेगी। आपकी वृद्धावस्था बचत का प्रबंधन भरोसेमंद सरकारी क्षेत्र की पेंशन निधियों द्वारा किया जाएगा।

जब आप अपने पेंशन खाते में 1,000 रुपए से 12,000 रुपए की बचत करते हैं, तो आपके एनपीएस-लाइट खाते में मंत्रालय की ओर से पुरुषों के मामले में 1,000 रुपए और महिलाओं के मामले में 2,000 रुपए का सह-अंशदान भी प्राप्त होता है।

यूटीआई - यूटीआई म्यूचुअल फंड

आपकी वापसी एवं पुनर्वासन (आरएंडआर) बचत

भारत में आपकी वापसी होने पर आपकी तात्कालिक धन-संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए **एमजीपीएसवाई** आपको आरएंडआर बचत के रूप में विकल्प प्रदान करता है। आरएंडआर के अंतर्गत आपकी बचत का प्रबंधन यूटीआई एएमसी द्वारा किया जाएगा, जो भारत में सर्वाधिक प्राचीनतम वित्तीय संस्थाओं में से एक है। यह स्कीम आपको अल्पकाल में आपके पुनर्वासन व्ययों की पूर्ति करने के लिए एक निश्चित अवधि के दौरान धनराशि की बचत करने में सहायता करेगी। जबकि आप इस स्कीम में 4,000 रुपए का विशेष निवेश करेंगे, आपको आपके आरएंडआर खाते में मंत्रालय का 500 रुपए का सह-अंशदान भी प्राप्त होगा।

एलआईसी - भारतीय जीवन बीमा निगम

आपकी बीमा सुरक्षा

एमजीपीएसवाई में एक प्रवासी भारतीय कर्मकार के रूप में नामांकित होने पर, आपको जनश्री बीमा योजना के अंतर्गत नि:शुल्क जीवन बीमा सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। यह बीमा सुरक्षा आपको तब तक दी जाएगी जब तक आप ईसीआर देश में कार्य कर रहे हैं। आप इस स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्राप्त करेंगे:

प्राकृतिक मृत्यु होने के मामले में आपके परिवार को एलआईसी द्वारा 30,000 रुपए का भुगतान किया जाएगा।

किसी दुर्घटना में मृत्यु होने अथवा पूर्ण स्थायी नि:शक्तता होने के मामले में, यथास्थिति, आपके परिवार को अथवा आपको 35,000 रुपए की राशि का भुगतान किया जाएगा।

यदि आपको किसी दुर्घटना के कारण पूर्ण आंशिक नि:शक्तता होती है, तो आपको 37,500 रुपए का भुगतान किया जाएगा।

आपकी बचत में वृद्धि

बचत का प्रबंधन मंत्रालय द्वारा नियुक्त किसी प्रतिष्ठित वित्तीय संस्था द्वारा किया जाएगा। निवेश मुख्यत: सरकारी बांडों में किया जाएगा तथा आपकी बचत का एक छोटा

भाग पीएफआरडीए और सेबी के नियमों के अनुसार बड़ी कंपनियों के शेयरों में निवेशित किया जाएगा, जो आपके हितों और अधिकारों का संरक्षण करने के लिए भारत सरकार द्वारा गठित एजेंसियां हैं।

जिस दर पर एनपीएस लाइट औरयूटीआई एमआईएस में आपकी बचत में वृद्धि होगी वह निश्चित अथवा गारंटीकृत नहीं है। स्कीम के अंतर्गत लाभ बाजार चालित हैं।

आपके अंशदान की अवधि

ऐसी कोई अवधि निश्चित नहीं है, जिसके अनुसार आप अंशदान करेंगे। आप अपनी सुविधा के अनुसार अंशदान कर सकते हैं। आप प्रत्येक माह में अथवा 3 माह में एक बार अथवा छह माह में अथवा वार्षिक आधार पर अंशदान कर सकते हैं। समस्त अंशदान आपके बैंक खाते से सीधे किए जाएंगे।

भारत में आपकी वापसी पर

आप भारत में अपनी वापसी होने पर एकमुश्त राशि के तौर पर आपके आरएंडआर बचत में संचित हुई राशि को निकालने में समर्थ रहेंगे।

एनपीएस लाइट खाते में आपकी बचत को पीएफआर-डीए विनियमित पेंशन निधि - के रूप में निवेशित रखा जाएगा तथा आप अपनी पेंशन के प्रति निवेश करना जारी रख सकते हैं। आप साठ वर्ष की आयु के हो जाने पर अपने एनपीएस लाइट खाते से अपनी नियमित पेंशन प्राप्त करना आरंभ कर देंगे।

सूचना के आपके स्रोत

एमजीपीएसवाई के बारे में किसी भी प्रश्न अथवा जानकारी के मामले में आप -

टोल फ्री हैल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं :

1800113090 (भारत), 80046342 (यूएई)

आप बैंक ऑफ बड़ौदा की निकटतम शाखा अथवा यूएई में स्थित भारतीय कर्मकार संसाधन केन्द्र (कार्य दिवसों पर अपराहन 3 बजे से सायं 7 बजे तक) पर भी जा सकते हैं। iima dkdksaldmddkdjdjdjd

iiiii ईमेल : info.mmmmmmggakdmgpsy @moia.nic.in help@wrc-uae.com

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय,
भारत सरकार,
9वां तल, अकबर भवन,
नई दिल्ली - 110021
दूरभाष : 180011390 (भारत के लिए टोल फ्री)
ईमेल : inf.mgpsy@moic.nic.in
www.moic.gov.in